संख्या– 3ए–2–वे0पु0–09/2011 ...../पटना, दिनांक

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषयः विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान (संवर्गीय संरचना, संकाय मानदंड, कैरियर संवर्धन स्कीम तथा अन्य सेवा शर्त्तों एवं बंधेजों सहित) दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद (AICTE) के पत्रांक–F.No. 37-3/2010, दिनांक 05..03. 2010 द्वारा अधिसूचित तथा भारत के राजपत्र असाधारण (पार्ट–III खंड–4) में प्रकाशित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद विनियम 2010 के माध्यम से तकनीकी संस्थाओं (डिप्लोमा) में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान, सेवा शर्त्तें और अर्हताएँ की अनुशंसा की गई है। राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम–2010 द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित वेतनमान, संवर्गीय संरचना, संकाय मानदंड, नियुक्ति की प्रक्रिया, कैरियर संवर्धन (एडवांसमेंट) स्कीम तथा अन्य सेवा शर्त्तों एवं बंधेजों सहित (सेवानिवृति की आयु सीमा छोड़कर) को दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से निम्नवत लागू करने का निर्णय लिया गया है–

(1) पोलिटेकनिक संस्थानों में शिक्षकों के लिए तीन पदनाम होंगें अर्थात व्याख्याता, विभागाध्यक्ष और कार्यशाला अधीक्षक।

(2) पोलिटेकनिकों में शिक्षकों तथा समकक्ष पदों के वेतन उनके पदनामों के अनुरूप उपयुक्त "शैक्षणिक ग्रेड वेतन" (संक्षेप में एजीपी) के साथ रू॰ 15600– 39100 तथा रू॰ 37400–67000 के दो वेतन बैंडों में निर्धारित किए जायेगें। प्रत्येक वेतन बैंडों में शैक्षणिक ग्रेड वेतन की विभिन्न अवस्थाएं होंगी जो यह सुनिश्चित करेंगी कि इस स्कीम के अधीन शामिल शिक्षकों तथा अन्य समकक्ष संवर्गों के पास अर्हता की अन्य शर्त्तों की पूर्ति के अध्यधीन, उनके कैरियर के दौरान उर्ध्ववर्त्ती संचलन के अनेक अवसर उपलब्ध हैं।

(3) विभिन्न संवर्गों में उच्चतर ग्रेड वेतन में सभी संवर्धन (एडवांसमेंट) के लिए अभातशिप अनुमोदित दो सप्ताह का दो पुनश्चर्या कार्यक्रमों सहित एक–एक सप्ताह का दो अभातशिप अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता अनिवार्य होगी।

(4) विभिन्न संवर्गों में उच्चतर ग्रेड वेतन में सभी संवर्धन (एडवांसमेंट) के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप) द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्धारण नहीं किये जाने की स्थिति में विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी आदेश निर्गत किया जा सकेगा।

(5) राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक के शिक्षकों की सेवा–निवृति की आयु, राज्य के विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवा–निवृति की आयु के मामले में लिये जाने वाले निर्णयानुसार ससमय लागू की जायेगी।

क्रमशः पृ0 2 पर.....

29/07/2011

(6) राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में दिनांक 05.01.1979 के पूर्व नियुक्त एवं सम्प्रति कार्यरत शिक्षकों का दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से वेतन निर्धारण, अभियंत्रण महाविद्यालयों के एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए अनुशंसित रू॰ 9000 के एजीपी के साथ रू॰ 37400– 67000 के वेतन बैंड में, किया जायेगा, किन्तु उनके बकाया वेतनादि का भुगतान अन्य राज्य कर्मियों के भांति दिनांक 01.4.2007 से किया जायेगा। ऐसे शिक्षकों को दिनांक 01.01.2006 से 31.3.2007 तक के लिए कोई बकाया अनुमान्य नहीं होगा।

(7) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित विभाग के अधीन राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में दिनांक 05.01.1979 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 01.01.2006 से निम्न प्रकार से देय होगा–

क्र॰	वर्त्तमान पदनाम	वर्त्तमान वेतनमान (रू॰ में)	पुनरीक्षित वेतनमान	
			पे बैंड्	ए॰जी॰पी॰*
(i)	व्याख्याता / कार्यशाला अधीक्षक	8000-275-13500	15600-39100	5400
(ii)	विभागाध्यक्ष	12000-420-18300	37400-67000	9000
(iii)	प्राचार्य	16400-450-20000	37400-67000 + विशेष भत्ता रू॰ 2000 प्रतिमाह	10000

*ए॰जी॰पी॰– एकेडमिक ग्रेड पे (Academic Grade Pay)

ऐसे शिक्षकों का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण दिनांक 01.01.2006 से किया जाएगा किन्तु राज्य सरकार के कर्मियों की भंति उनके बकाया का भुगतान दिनांक 01.4.2007 से राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(8) अन्यथा कोई आदेश होने तक अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान में मँहगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, परिवहन भत्ता एवं अन्य भत्तादि राज्य सरकार के कर्मियों को जिस तिथि से भुगतान किया गया है उस तिथि से भुगतेय होगा।

(9) पोलिटेकनिकों के शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप समस्त देयता राज्य सरकार की होगी।

(10) राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान, सेवा शर्त्तें तथा कॅरियर संवर्धन (एडवांसमेंट) स्कीम निम्न प्रकार का होगा–

(i) उपयुक्त शाखा/ विषय–क्षेत्र में बी॰टेक॰ अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को, चाहे वे शिक्षण व्यवसाय में नया–नया प्रवेश कर रहें हों अथवा पोलिटेकनिक संस्थाओं में पहले से ही व्याख्याता के रूप में सेवा में हों, रू॰ 5400 के एजीपी के साथ रू॰ 15600–39100 के वेतन बैंड में रखा जायेगा तथा वे उपयुक्त शाखा/ विषय–क्षेत्र में मास्टर डिग्री की अर्हता पूरी कर लेने पर रू॰ 6000 के एजीपी में चले जाएंगें।

(ii) उपयुक्त शाखा/ विषय–क्षेत्र में एम॰टेक॰ अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को, चाहे वे शिक्षण व्यवसाय में नया–नया प्रवेश कर रहें हों अथवा पोलिटेकनिक संस्थाओं में पहले से ही व्याख्याता के रूप में सेवा में हों, रू॰ 6000 के एजीपी के साथ रू॰ 15600–39100 के वेतन बैंड में रखा जायेगा।

29/07/2011

क्रमशः पृ0 3 पर.....

(iii) 4 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाला व्याख्याता, जिसके पास प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में पीएच॰डी॰ डिग्री धारित हों, रू॰ 7000 के एजीपी में रखे जाने के लिए पात्र होंगे।

(iv) प्रासंगिक शाखा/ विषय–क्षेत्र में, जैसा कि तकनीकी शिक्षा में परिभाषित है, मास्टर डिग्री धारण करने वाला व्याख्याता, व्याख्याता के रूप में 5 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरांत रू॰ 7000 के एजीपी के लिए पात्र होंगे।

(v) ऐसा व्याख्याता, जिसके पास किसी कार्यक्रम की प्रासंगिक शाखा/ विषय–क्षेत्र में पीएच॰डी॰ अथवा मास्टर डिग्री नहीं है, व्याख्याता के रूप में 6 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरांत ही रू॰ 6000 के एजीपी के लिए पात्र होंगे।

(vi) ऐसा व्याख्याता, जिसके पास किसी कार्यक्रम की प्रासंगिक शाखा/ विषय–क्षेत्र में पीएच॰डी॰ अथवा मास्टर डिग्री नहीं है, व्याख्याता के रूप में 9 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरांत ही रू॰ 7000 के एजीपी के लिए पात्र होंगे।

(vii) सभी व्याख्याताओं के लिए रू॰ 5400 के एजीपी से रू॰ 6000 एजीपी में तथा रू॰ 6000 के एजीपी से रू॰ 7000 के एजीपी में उर्ध्ववर्त्ती संचलन उनके अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य शर्त्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगा।

(viii) व्याख्याता (वरीय वेतनमान) के पदों के पदधारियों के वेतन [अर्थात रू॰ 10000–15200 (अपुन॰ वेतनमान)] उनके वर्त्तमान वेतन के आधार पर रू॰ 15600–39100 के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर निर्धारित किया जाएगा, जिसका एजीपी रू॰ 7000 होगा।

(ix) रू॰ 7000 के एजीपी के साथ 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले व्याख्याता, अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य अपेक्षाओं के अध्यधीन, रू॰ 8000 के एजीपी में जाने के लिए पात्र होगें।

(x) पदधारी व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) जिन्होंने रू॰ 12000–18300 के अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 को 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, रू॰ 9000 के एजीपी के साथ रू॰ 37400–67000 के वेतन बैंड में रखे जायेगें तथा व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किए जाने जारी रहेगें।

(xi) पदधारी व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) जिन्होंने दिनांक 01.01.2006 को रू॰ 12000–18300 के अपुनरीक्षित वेतनमान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, उस समय तक रू॰ 8000 के एजीपी के साथ रू॰ 15600–39100 के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर रखा जाएगा, जबतक वे व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं कर लेते तथा उसके पश्चात उन्हें रू॰ 37400–67000 के उच्च वेतन बैंड में रखा जाएगा तथा तदनुसार व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) पदनामित किया जाएगा।

(xii) रू॰ 8000 के एजीपी के साथ शिक्षण के 3 वर्ष पूर्ण करने वाले व्याख्याता, अभातशिप द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य शर्त्तों के अध्यधीन, रू॰ 9000 के एजीपी के साथ रू॰ 37400–67000 के वेतन बैंड में रखे जाने के पात्र होगें।

(xiii) विभागाध्यक्ष का पद रू॰ 9000 एजीपी के साथ रू॰ 37400–67000 के वेतन बैंड में होगा। सीधे भर्त्ती हुए विभागाध्यक्ष को रू॰ 37400–67000 के वेतन बैंड में, जिसमें रू॰ 9000 का एजीपी होगा, नियुक्ति के निबंधन और शर्त्तों के अनुसार वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था में रखा जाएगा।

(xiv) रू॰ 9000 के एजीपी में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले तथा प्रासंगिक विषय–क्षेत्र में पीएच॰डी॰ धारण करने वाले विभागाध्यक्ष अभातशिप द्वारा यथानिर्दिष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन की अन्य शर्त्तों के अध्यधीन रू॰ 37400–67000 का वेतन बैंड में रू॰ 10000 के एजीपी के पात्र होगें।

क्रमशः प0 4 पर.....

27/7/2011

(xv) व्याख्याता, विभागाध्यक्ष तथा प्राचार्य के स्तर पर प्रारंभिक सीधी–भर्त्ती के लिए शैक्षणिक एवं शोध अपेक्षाओं के संबंध में पात्रता शर्त्तें वे होंगी, जो अभातशिप द्वारा विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट की जाएं अथवा निर्दिष्ट की गई हैं।

(xvi) कार्यशाला अधीक्षक को व्याख्याता के समकक्ष माना जाएगा तथा उसपर उर्ध्ववर्ती संचलन के लिए व्याख्याता के समान ही विचार किया जाएगा।

(xvii) पोलिटेकनिकों में प्राचार्यों के पदों के लिए नियुक्तियाँ अभातशिप द्वारा समय–समय पर निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं और शिक्षण/ शोध अनुभव के संबंध में अर्हता शर्त्तों के आधार पर होगी तथा प्राचार्य का पद रू॰ 10000 के एजीपी के साथ रू॰ 37400–67000 के वेतन बैंड में होगा, जिसमें रू॰ 2000 प्रतिमाह का विशेष भत्ता भी शामिल होगा। सेवारत सभी प्राचार्यों को रू॰ 10000 के एजीपी साथ वेतन बैंड में उपयुक्ततः नियत किया जायेगा तथा उन्हें रू॰ 2000 प्रतिमाह के विशेष भत्ता दिया जाएगा।

(11) **पीएच॰डी॰/एम॰ टेक॰ तथा उच्च योग्यताओं के लिए प्रोत्साहन**

(i) यूजीसी द्वारा यथानिर्दिष्ट पंजीकरण, पाठ्यक्रम–कार्य तथा बाह्य मूल्यांकन की प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रांसंगिक विषय–क्षेत्र में प्रदान की गई पीएच॰डी॰ की डिग्री धारण करने वाले व्यक्ति को नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर 5 (पांच) गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वुद्धियां अनुमान्य होगी।

(ii) व्याख्याता के पद पर नियुक्ति के समय एम॰फिल॰ डिग्रीधारक दो गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियों के पात्र होगे।

(iii) किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में, जैसे किसी संविधिक विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त प्रासंगिक शाखा/ विषय–क्षेत्र में एम॰टेक॰ स्नातकोत्तर डिग्री धारण करने वाले भी प्रवेश स्तर पर दो गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियों के पात्र होगे।

(iv) ऐसे अध्यापक, जो सेवा में रहते हुए अपनी पीएच॰डी॰ डिग्री पूरा करते हैं, तीन गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियों के पात्र होगे, यदि ऐसी पीएच॰डी॰ प्रासंगिक शाखा /विषय–क्षेत्र में है तथा किसी विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन आदि के लिए यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रदान की गई है।

(v) तथापि, सेवाकालीन ऐसे अध्यापक, जिन्हें इस स्कीम के प्रवृत होने के समय पीएच॰डी॰ प्रदान की गई है अथवा जिन्होंने पीएच॰डी॰ के लिए नामांकित हो चुकने पर पाठ्यक्रम–कार्य, यदि कोई है, तथा साथ ही मुल्यांकन भी पहले ही कर लिया है, तथा केवल पीएच॰डी॰ प्रदान किये जाने के संबंध में अधिसूचना की ही प्रतीक्षा की जा रही है, वे भी तीन गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियों को पाने के लिए पात्र होगे, भले ही ऐसी पीएच॰डी॰ प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय अभी अधिसूचित नही किया गया है।

(vi) सेवाकालीन ऐसे अध्यापक, जिन्होंने पीएच॰डी॰ के लिए अभी नामांकन नहीं किया है, सेवाकाल में पीएच॰डी॰ प्राप्त होने पर केवल तीन गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियों के लाभ ले सकेगें, यदि ऐसा नामांकन यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के साथ किया गया है।

(vii) ऐसे अध्यापक जो सेवा के दौरान किसी संविधिक विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में एम॰ फिल॰ अथवा एम॰टेक॰ डिग्री अर्जित करते हैं, एक अग्रिम वेतन–वृद्धि के पात्र होगें।

29/07/2011

क्रमशः पृ0 5 पर.....

(12) वेतनवृद्धि एवं वेतन नियतन सूत्र

(i) प्रत्येक वार्षिक वेतन–वृद्धि वेतन बैंड में अवस्था के लिए यथालागू प्रासंगिक वेतन बैंड तथा एजीपी में वेतन के कुल योग के 3 (तीन) प्रतिशत के समकक्ष होगी।

(ii) प्रत्येक अग्रिम वेतन–वृद्धि भी यथालागू प्रासंगिक वेतन बैंड तथा एजीपी में वेतन के कुल योग की 3 (तीन) प्रतिशत की दर से होगी तथा गैर–चक्रवर्ती होगी।

(iii) एजीपी की प्रत्येक उच्च अवस्था पर रखे जाने पर अतिरिक्त वेतन–वृद्धियाँ की संख्या निम्न वेतनमान से उच्च वेतनमान में प्रोन्नति पर वेतनवृद्धि की विद्यमान स्कीम के अनुसार होगी, तथापि, दो वेतन बैंडों के बीच प्रभावी वेतन में पर्याप्त वृद्धि को ध्यान रखते हुए, रू॰ 15600–39100 के वेतन बैंड से रू॰ 37400–67000 के वेतन बैंड में संचलन पर कोई अतिरिक्त वेतन–वृद्धि नही दी जायेगी।

(iv) प्रचलित वेतन बैंड में अगली वार्षिक वेतनवृद्धि एक समान अर्थात् प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह की पहली तारीख हो जायेगी। शिक्षकगण 1 जुलाई को चालू वेतन बैंड में 6 महीना अथवा उससे अधिक की अवधि पूरी कर चुके हैं, एक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के योग्य हो जायेगें। दिनांक 01.01.2006 को प्रचलित वेतन बैंड में वेतन निर्धारण के पश्चात एक वेतन वृद्धि दिनांक 01.7.2006 को वैसे शिक्षकों को देय होगी जिनकी अगली वेतन वृद्धि 1 जुलाई, 2006 से 1 जनवरी, 2007 के बीच में हो। वैसे सभी शिक्षकगण, जिन्होंने दिनांक 01.02.2005 और 01.01.2006 के बीच पिछली वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर लिया है, उन्हें भी अगली वेतनवृद्धि की तिथि 01.7.2006 होगी परंतु उन शिक्षकों के मामले में जिन्होंने 1 जनवरी, 2006 को अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतनवृद्धि 1 वर्ष से अधिक समय से प्राप्त कर रहे थे, उन्हें चालू वेतन संरचना में 1 जनवरी को ही वेतनवृद्धि स्वीकृत की जायेगी।

(v) यदि कोई शिक्षक अपने वेतनबैड के अधिकतम स्तर पर पहूँच जाता है, तो अधिकतम स्तर पर पहूँचने के एक वर्ष के पश्चात अगले उच्चतर वेतनबैंड का लाभ दिया जायेगा तथा इसके स्थापन के समय एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जायेगा।

(vi) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथास्वीकार्य छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित 'वेतन नियतन सूत्र' को शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए अपनाया जाएगा।

(13) नियुक्ति की प्रक्रिया एवं संकाय मानदण्ड

(i) विभागाधीनस्थ राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में व्यख्याता, कार्यशाला अधीक्षक, विभागाध्यक्ष तथा प्राचार्य के पदों पर प्रारंभिक सीधी–भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं शोध अपेक्षाओं के संबंध में पात्रता एवं शर्त्ते अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम–2010 के माध्यम से निर्दिष्ट की गई है जिसे एपेन्डिक्स–1 के रूप में संलग्न की जा रही है।

(ii) विभागाधीनस्थ राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक के सभी संवर्गीय पदों पर नियुक्ति, राष्ट्रीय स्तर पर किए गए विज्ञापन के गुणागुण के आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा की जायेगी।

(iii) पीएच॰डी॰ की समकक्षता 5 अंतराष्ट्रीय जनरल पत्रों के प्रकाशन पर आधारित है, जिसमें से प्रत्येक जनरल का संचयी प्रभावी सूचकांक 2.0 से कम नहीं होना चाहिए, तथा पदधारक मुख्य लेखक के रूप में होना चाहिए और सभी 5 प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता के क्षेत्र से जुड़े होना चाहिए।

(iv) पीएच॰डी॰ एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।

29/07/2011

क्रमशः पृ0 6 पर.....

(14) राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक के शिक्षकों को दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम—2010 के माध्यम से निर्दिष्ट पुनरीक्षित वेतनमान सहित कैरियर एडवांसमेंट योजना में ही प्रोन्नति अनुमान्य होगी।

(15) यदि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम—2010 में निर्दिष्ट अनुशंसाओं में कोई संशोधन किया जाता है तो प्रशासी विभाग वित्त विभाग की सहमति से इस संबंध में निर्गत संकल्प को तदनुसार संशोधित कर सकेगा।

(16) दिनांक 01.01.2006 एवं आदेश निर्गत होने के बीच सेवानिवृत शिक्षकों का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का निर्धारण उपर्युक्त कंडिकाओं में निहित प्रक्रिया एवं शर्त्तों के अधीन किया जायेगा।

(17) राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक में कार्यरत शिक्षकों को यह विकल्प दिया जायेगा कि यदि वे चाहें तो अपुनरीक्षित वेतनमान में ही बने रहें किन्तु, उस तरह दिया गया कोई विकल्प बाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। संबंधित शिक्षकों द्वारा संलग्न प्रपत्र एपेन्डिक्स—2 में इस आशय का विकल्प आदेश निर्गत की तिथि से नब्बे (90) दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से दे देना होगा। जो शिक्षक इस अवधि में अपना विकल्प लिखित रूप से नहीं देगें उनके संबंध में मान लिया जायेगा कि वे नये वेतनमान में रहेगें।

आदेशः — *आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी विभाग/विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), बिहार, पटना को प्रेषित की जाय।*

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(मदन मोहन प्रसाद)
सरकार के विशेष सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः—3ए—2—वे0पु0—08/2011...../ पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— अनुलग्नक सहित महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰)/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

(मदन मोहन प्रसाद)
सरकार के विशेष सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः—3ए—2—वे0पु0—08/2011...../ पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः— अनुलग्नक सहित सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

(मदन मोहन प्रसाद)
सरकार के विशेष सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

29/07/2011

ज्ञापांकः–3ए–2–वे0पु0–08 / 2011............................/ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 7वीं मंजिल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(मदन मोहन प्रसाद)
सरकार के विशेष सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–3ए–2–वे0पु0–08 / 2011............................/ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(मदन मोहन प्रसाद)
सरकार के विशेष सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–3ए–2–वे0पु0–08 / 2011............................/ पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(मदन मोहन प्रसाद)
सरकार के विशेष सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–3ए–2–वे0पु0–08 / 2011....7097..../ पटना, दिनांक– 29/7/11

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि इस संकल्प को राजपत्र के असाधारण अंक में अलिम्ब प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जाय।

29/07/2011
(मदन मोहन प्रसाद)
सरकार के विशेष सचिव
वित्त विभाग, बिहार, पटना

एपेन्डिक्स–1

व्याख्याता, कर्मशाला अधीक्षक, विभागाध्यक्ष तथा प्राचार्य के पदों पर सीधी–भर्ती के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम–2010 के माध्यम से निर्दिष्ट अर्हता एवं अनुभव

पद	अर्हता	अनुभव
व्याख्याता / कार्यशाला अधीक्षक		
इंजिनियरी / प्रौद्योगिकी	इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी स्नातक डिग्री अथवा समतुल्य ग्रेड। यदि उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री है तो स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समतुल्य ग्रेड अपेक्षित है।	
मानविकी एवं विज्ञान	उपयुक्त विषय में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर डिग्री एवं स्नातक स्तर पर भी प्रथम श्रेणी	
विभागाध्यक्ष		
इंजिनियरी / प्रौद्योगिकी	इंजिनियरी / प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री। स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समतुल्य ग्रेड अनिवार्य है। **अथवा** इंजिनियरी / प्रौद्योगिकी की उपयुक्त शाखा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री तथा उपयुक्त विषय क्षेत्र में पीएच.डी. अथवा समकक्ष। स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समतुल्य ग्रेड अनिवार्य है।	शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव। शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 5 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव।
प्राचार्य		
इंजिनियरी / प्रौद्योगिकी	विभागाध्यक्ष के पद के लिए उपयुक्तानुसार योग्यता तथा इंजीनियरिंग में पीएच॰डी।	शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव जिसमें न्यूनतम 3 वर्ष विभागाध्यक्ष अथवा समकक्ष के स्तर होना चाहिए।

29/07/2011

विशेष सचिव

वित्त विभाग, बिहार, पटना